

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालयों में संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त कर्मियों के नियोजन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने के संबंध में।

समान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 2804 दिनांक- 20.03.2010, 10000 दिनांक-10.07.2015 एवं 3815 दिनांक-11.03.2016 के आलोक में जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालयों में निम्नवर्गीय/उच्चवर्गीय लिपिकों के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त कर्मियों के नियोजन हेतु स्वलिखित आवेदन विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदक को अपना आवेदन पत्र स्वयं जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को समर्पित करना होगा। नियोजन हेतु स्वलिखित आवेदन दिनांक- 15.12.2016 तक हाथों-हाथ अथवा डाक से अपराहण 5:00 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

01. चयन की प्रक्रिया :- (क) संबंधित जिला चयन समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों के आधार पर Short Listed आवेदकों को साक्षात्कार के लिये चयन समिति के समक्ष उपस्थित होना होगा। कर्मियों का चयन कर पैनल का निर्माण किया जायेगा, जिससे आवश्यकतानुसार रिक्त पदों पर संविदा पर नियोजन किया जायेगा। साक्षात्कार के लिए निर्धारित तिथि में परिवर्तन की स्थिति में अगली तिथि की सूचना आवेदक को जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी द्वारा मोबाईल से एस.एम.एस. के द्वारा दी जायेगी। विभिन्न जिलों की कोटिवार रिक्तियों की स्थिति विभागीय website- www.minoritywelfare.bih.nic.in पर देखी जा सकती है।

(ख) चयन में क्षेत्रीय कार्यालयों से सेवानिवृत्त वैसे लिपिकों को प्राथमिकता दी जायेगी जो विपत्र एवं कोषागार कार्य/लेखा/नजारत/छात्रवृत्ति कार्यों का कम से कम दो वर्षों का अनुभव रखते हों।

02. मानदेय:- नियोजित कर्मियों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन में पेंशन की राशि घटाने के बाद जो राशि होगी वही होगी।

03. उम्र सीमा- चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 30.11.2016 को 63 वर्ष की होगी।

04. संविदा पर नियोजन प्रथमतः 02 (दो वर्ष) अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए होगा। जिन रिक्तियों के विरुद्ध संविदा के आधार पर नियोजन किया जा रहा है, उन पर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया भी प्रारम्भ की जा रही है। नियमित नियुक्ति होने/संतोषप्रद कार्य करने के बाद भी एक सप्ताह का नोटिस देकर इनकी सेवाएँ स्वतः समाप्त कर दी जायेगी। अधिकतम उम्र सीमा तक सेवा आवश्यकतानुसार एवं संतोषजनक पाये जाने पर एक-एक वर्ष के लिए विस्तारित की जा सकती है।

05. कार्य असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के नियोजन समाप्त किया जा सकेगा।

06. निम्नांकित कोटि के कर्मियों का नियोजन नहीं किया जा सकेगा :-

(क) जिन पर कोई निगरानी/विभागीय कार्यवाही का मामला चल रहा है।

(ख) जिन पर कोई गंभीर आरोप विचाराधीन हो।

(ग) जिन पर किसी भी तरह का अपराधिक मामला दर्ज हो।

(घ) चयन के दृष्टि से जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सक्षम नहीं होंगे।

विहित प्रपत्र

स्व अभिप्रमाणित
तस्वीर

1. आवेदक का नाम:-
2. विभाग/कार्यालय का नाम (जहाँ से से.नि. हुए हों) :-
3. जिला का नाम (जहाँ से से.नि. हुए हों) :-
4. जन्म तिथि :-
5. सेवा निवृत्त की तिथि :-
6. अन्तिम वेतन :-
 - (i) मूल वेतन :-
 - (ii) वेतनमान :-
 - (iii) ग्रेड पे :-
7. सेवा निवृत्त तिथि को समय धारित पद :-
8. पेंशन स्वीकृत की स्थिति :-
 - (i) स्वीकृत :- ()
 - (ii) स्वीकृत नहीं :- ()
 - (iii) औपबंधिक स्वीकृत :- ()

सही (✓) का निशान लगाएं।
आदेश की प्रति संलग्न करें।
9. पेंशन की स्वीकृत राशि (पेंशन+मंहगाई राहत कुल जोड़कर) :-
10. सेवा निवृत्त की तिथि या पूर्व में विभागीय आरोप/विभागीय कार्रवाई की स्थिति :-
11. आरक्षण श्रेणी :-
12. आरोप के निष्पादन की तिथि/अधिरोपित दण्ड की विवरणी :-
13. वर्तमान पता :-
14. स्थायी पता :-
15. घोषणा पत्र (1) एतद् द्वारा मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण सही है। सूचना गलत पाए जाने की स्थिति में मेरी उम्मीदवारी/संविदा नियोजन रद्द किया जा सकता है। (2) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की संकल्प सं०- 2804 दिनांक- 29.03.2010 की सभी शर्त मान्य है।

मोबाईल सं० :-

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदक का हस्ताक्षर


बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालयों में संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त कर्मियों के नियोजन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने के संबंध में विभिन्न जिलों की कोटिवार रिक्तियों की स्थिति निम्न प्रकार है :-

निम्न वर्गीय लिपिक		
क्र.सं.	जिला का नाम	आरक्षण कोटि एवं पद संख्या
1	अररिया	अनारक्षित - 1
2	अरवल	अनारक्षित - 1, पिछड़ा वर्ग - 1,
3	औरंगाबाद	अनारक्षित महिला - 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग - 1
4	कैमूर	अनारक्षित - 1, अनुसूचित जाति - 1
5	कटिहार	अत्यंत पिछड़ा वर्ग - 1
6	खगड़िया	अनारक्षित - 1, पिछड़ा वर्ग की महिला - 1
7	गोपालगंज	अनारक्षित महिला - 1, अनुसूचित जाति(महिला) -1
8	जमुई	अनारक्षित - 1
9	नवादा	अनारक्षित - 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला - 1
10	पूर्णियाँ	अनुसूचित जनजाति - 1
11	पटना	अनारक्षित महिला - 1
12	बक्सर	अनारक्षित - 1, पिछड़ा वर्ग - 1
13	बेगुसराय	अनारक्षित महिला - 1, अनुसूचित जाति - 1,
14	भोजपुर	अनारक्षित - 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग - 1
15	मुजफ्फरपुर	अनारक्षित - 1, पिछड़ा वर्ग की महिला - 1
16	मधेपुरा	अनारक्षित महिला - 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग - 1
17	मुंगेर	अनुसूचित जाति - 1
18	मधुबनी	अनारक्षित - 1
19	रोहतास (सासाराम)	पिछड़ा वर्ग - 1


मधुबनी

20	लखीसराय	अनारक्षित - 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला - 1
21	वैशाली	अनारक्षित महिला - 1
22	शिवहर	अनारक्षित - 1, अनुसूचित जाति की महिला - 1
23	शेखपुरा	अनारक्षित -1, पिछड़ा वर्ग की महिला - 1
24	सहरसा	अनारक्षित महिला - 1, अत्यंत पिछड़े वर्ग - 1
25	सिवान	अनारक्षित - 1, अनुसूचित जाति - 1
26	सीतामढ़ी	अनारक्षित - 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग - 1
27	समस्तीपुर	अनारक्षित महिला - 1, पिछड़ा वर्ग -1
28	सुपौल	अनारक्षित - 1, अनुसूचित जाति - 1,


उप सचिव (स्था0)
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,
बिहार, पटना

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालयों में संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त कर्मियों के नियोजन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने के संबंध में विभिन्न जिलों की कोटिवार रकतियों की स्थिति निम्न प्रकार है :-

उच्चवर्गीय लिपिक		
क्र.सं.	जिला का नाम	आरक्षण कोटि एवं पद संख्या
1	अररिया	पिछड़े वर्ग की महिला - 1
2	अरवल	अनारक्षित - 1
3	जमुई	अत्यंत पिछड़ा वर्ग- 1
4	नवादा	अनारक्षित महिला 1
5	प0 चम्पारण (बेतिया)	पिछड़ा वर्ग 1
6	बक्सर	अनारक्षित 1
7	बांका	अनुसूचित जाति महिला 1
8	बेगुसराय	अनारक्षित 1
9	भोजपुर	अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला 1
10	मुजफ्फरपुर	अनारक्षित महिला 1
11	मधुबनी	अनुसूचित जाति 1
12	मधेपुरा	अनारक्षित 1
13	रोहतास (सासाराम)	पिछड़ा वर्ग 1
14	वैशाली	अनारक्षित 1
15	शिवहर	अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1
16	शेखपुरा	अनारक्षित महिला 1
17	सुपौल	अनुसूचित जाति 1
18	समस्तीपुर	अनारक्षित 1
19	सीतामढ़ी	अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1
20	सिवान	अनारक्षित 1
21	सहरसा	पिछड़ा वर्ग की महिला 1


22/7/16/1
उप सचिव (स्था0)
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,
बिहार, पटना

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

(शुद्धि पत्र)

जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालयों में संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त कर्मियों के नियोजन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने के संबंध में अररिया, किशनगंज, जमुई एवं पटना जिला की कोटिवार रिक्ति में आंशिक संशोधन के पश्चात् स्थिति निम्न प्रकार है :-

निम्न वर्गीय लिपिक		
क्र.सं.	जिला का नाम	आरक्षण कोटि एवं पद संख्या
1	अररिया	अनारक्षित - 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला-1
2	किशनगंज	अनारक्षित महिला-1
3	जमुई	अनारक्षित -1, अनुसूचित जाति - 1
4	पटना	शून्य


उप सचिव (स्था0)
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,
बिहार, पटना